यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज, लखवाड़, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज, लखवाड़, देहरादून** के माह 04/2012 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 28.12.2018 से 01.01.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह 04/2012 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** प्रधानाचार्य, का कार्य क्षेत्र राजकीय इंटर कालेज लखवाड़, मात्र है, प्रधानाचार्य जी0आई0सी0, कॉलेज, लखवाड़ के प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों पर नियंत्रण रखना तथा शिक्षण की उचित व्यवस्था का प्रबंधन करना है।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(रु0 लाख में)

वर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		बचत/ समर्पण	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना	गैर स्थापना
2015-16	100.57	100.32	00	00	0.25	00
2016-17	108.04	107.08	00	00	0.95	00
2017-18	144.94	140.94	00	00	4.01	00
2018-19 (11/2018)	168.74	128.72	00	00	40.02	00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु0 लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	रमसा एवं एम0डी0एम0	0.70	1.49	1.43	0.75
2016-17		0.75	1.29	1.43	0.61
2017-18		0.61	1.30	1.19	0.72

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1). महानिदेशक

2). निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

3). अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) पौड़ी

4). मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून

5). खण्ड शिक्षा अधिकारी

6). प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक

7). अन्य स्टाफ

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज, लखवाड़, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 11/2014, 05/2016, 09/2017, एवं 10/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक- महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो –"ब"

प्रस्तर 01: ट्रेजरी के माध्यम से किए गए ऑनलाइन भुगतान की प्रविष्टि रोकड़-बही मे नहीं किए जाने के कारण स्थापना मद के कुल रु. 108.64 लाख की सकल धनराशि के ब्यय वाउचरों का नियमानुसार मिलान नहीं किया जाना ।

शासन के पत्रांक संख्या 3/XXVII(6)/2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के बिन्दु संख्या 4.9 में ई–भुगतान प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकरी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल पंजिका इत्यादि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे। इसके अतिरिक्त फार्म बी0एम0–05 में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित माह में किए गये लेन–देनों के सत्यापन हेतु स्पष्ट रुप में वर्णित है कि "Certified that all the drawals shown in the statement are correct except the followings ones (if any) which have not been made by me" and "Besides the above the following are also the drawals (if any) by me during the month which have not been shown in the statement".

प्राचार्य राजकीय इंटर कॉलेज, लखवाड़ (कालसी) की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि स्थापना मद के अंतर्गत किए गए भुगतान एवं बजट प्राप्ति हेतु नियमानुसार रोकड़बही नहीं बनाई गई थी। अतः विस्तृत जांच हेतु चयनित माहों 11/2014, 05/2016, 09/2017 एवं 10/2018 में ट्रेजरी द्वारा प्राप्त Form BM-5 सीटीआर) के कुल रु. 108.64 लाख की सकल धनराशि के भुगतान (ट्रेजरी के माध्यम से ऑनलाइन) व्यय वाउचरों का मिलान नियमानुसार नहीं किया जा सका, जिसका विवरण निम्नवत है-:

(रु. लाख में)

माह/वर्ष	प्रपत्र	राशि
11/2014	CTS UK BM-05	24.84
05/2016	CTS UK BM-05	23.06
09/2017	CTS UK BM-05	29.09
10/2018	CTS UK BM-05	31.65
	योग	**108.64**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि उपरोक्त शासनादेश का ज्ञान नहीं होने के कारण ट्रेजरी के माध्यम से किए गए ऑनलाइन भुगतान की प्रविष्टि रोकड़-बही मे नहीं की गई। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त आदेश जनवरी 2013 मे निर्गत किया गया था।

अतः ट्रेजरी के माध्यम से किए गए ऑनलाइन भुगतान की प्रविष्टि रोकड़-बही मे नहीं किए जाने के कारण स्थापना मद के कुल रु. 108.64 लाख की सकल धनराशि के ब्यय वौचरों का नियमानुसार मिलान नहीं किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1: राजकीय इंटर कालेज लखवाड़ के छात्र-निधि के रु. 4.03 लाख की धनराशि का अवरोधन।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 444/XXIV-(1)2013-258/2012 शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 31.05.2013 द्वारा कक्षा 08 तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गयी है तथा कक्षा 09 से लेकर 12 तक के छात्रों से शिक्षण शुल्क लिया जाता है। शिक्षण शुल्क की राशि कोषागार मे जमा की जाती है तथा छात्र निधि जिसमे विभिन्न मदों मे शुल्क लिया जाता है उक्त राशि छात्र निधि मे जमा होती है जिसका उपयोग विद्धयालय मे शिक्षारत विध्यार्थियों के कल्याण एवं विकास तथा खेल-कूद प्रतियोगिता आदि मे व्यय किया जाता है।

राजकीय इंटर कालेज लखवाड़ के छात्र निधि से संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया की छात्रो से शिक्षण शुल्क निर्धारित राशि की आधी राशि लिया जा रहा था जिसका कोई स्पष्ट आधार नहीं था, तथा जांच मे यह भी पाया गया की छात्र निधि की अधिकांश मदों मे धनराशि का संबन्धित कार्यों मे उपयोग नहीं किया जा रहा था, संप्रेक्षा तिथि को छात्र निधि मे रुपए 4,03,205.73 की धनराशि अनुपयोगी पड़ी हुई थी जिसमे अधिकांश मदों मे धनराशि का काफी समय से उपयोग नहीं किया गया था। (विस्तृत विवरण संलग्न)

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि छात्रा निधि की धनराशि रूपये 403205.73 की धनराशि विगत काफी समय से अप्रयुक्त थी तथा धनराशि का उपयोग छात्रो के हितो मे नहीं किया जा रहा था जो विभागीय उदासीनता का परिचायक था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि ब्यस्तता के कारण धनराशि का उपयोग यथा समय विद्यालय एवं छात्रहित मे नहीं किया जा सका। उक्त राशि का उपयोग यथा आवश्यकता भविष्य मे सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि छात्र निधि के रु. 4.03 लाख की धनराशि अप्रयुक्त पड़ी हुई थी जिसका उपयोग विगत काफी समय से छात्र हित मे सुनिश्चित नहीं किया गया था।

अतः छात्र-निधि के रु. 4.03 लाख की धनराशि के अप्रयुक्त रहने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या (सा0क्षे0)	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण			अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	भाग II अ	भाग II ब	STAN			
इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।						

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज, लखवाड़ , देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

(i) सतत् अनियमितताएः शून्य

2- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया -

क्रमांक	नाम	पदनाम	अवधि
01	श्री रमेश चन्द्र पँवार	प्रवक्ता/प्रभारी प्रधानाचार्य	04/2012 से 14.01.2014
02	श्री ध्रुव कुमार	प्रवक्ता/प्रभारी प्रधानाचार्य	15.01.2014 से 17.09.2015
03	श्री अनिरुद्द चौहान	प्रधानाचार्य	18.09.2015 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कॉलेज, लखवाड़, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, निकट-IHM, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.